

**उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की दिनांक
13 जुलाई, 2015 को सम्पन्न हुई 45वीं बैठक का कार्यवृत्त ।**

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित हुए:-

- | | | |
|-----|---|----------------|
| 1. | प्रो० ओंकार सिंह
कुलपति,
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ । | अध्यक्ष |
| 2. | प्रो० ए०एस० विद्यार्थी
निदेशक,
आई०ई०टी०, लखनऊ । | सदस्य |
| 3. | डा० आर०के० पेडिन्टी (नामित प्रतिनिधि)
आई०आई०टी०, रुड़की । | सदस्य |
| 4. | प्रो० सत्यकी राय (नामित प्रतिनिधि)
आई०आई०टी०, कानपुर । | सदस्य |
| 5. | प्रो० जगबीर सिंह
अधिष्ठाता, फ़ैकल्टी आफ आर्किटेक्चर,
यू०पी०टी०यू०, लखनऊ । | सदस्य |
| 6. | प्रो० एस०जी० पाण्डेय
निदेशक,
के०एन०जी०डी०, मोदीनगर,
गाजियाबाद । | सदस्य |
| 7. | सुश्री एस०पी० वर्मा
वित्त अधिकारी,
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ । | विशेष आमन्त्री |
| 8. | प्रो० बी०एन० मिश्रा
परीक्षा नियंत्रक,
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ । | विशेष आमन्त्री |
| 9. | श्री राजीव कुमार
अपर परीक्षा नियंत्रक,
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ । | विशेष आमन्त्री |
| 10. | श्री के०के० चौधरी
कुलसचिव,
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ । | सचिव |

बैठक में निदेशक, के०एन०आई०टी०, सुल्तानपुर एवं निदेशक, आई०ई०आई०आर०टी०, इलाहाबाद उपस्थित नहीं हो सके। परिषद के अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

- मद सं. 45.01 उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की दिनांक 19 मई, 2015 को सम्पन्न हुई 44वीं बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।
विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की दिनांक 19 मई 2015 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन कर उक्त पर परिषद द्वारा पुष्टीकरण किया गया।
- मद सं. 45.02 उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की दिनांक 19 मई 2015 को सम्पन्न हुई 44 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही का पुष्टिकरण।
विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की दिनांक 19.05.2015 को सम्पन्न हुई 44वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही के विवरण का अवलोकन कर इसे परिषद द्वारा संज्ञान में लिया गया।
- मद सं. 45.03 उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज द्वारा अनुमोदित तृतीय वर्ष की बी०टेक०/बी०टेक०(एग्री) बी.टेक. (बायोटेक.) बी०आर्क० / बी०फार्म० / बी०एच०एम०सी०टी० / बी०एफ०ए०डी० एवं बी०एफ०ए० की पाठ्यचर्याओं को शैक्षिक सत्र-2015-16 से लागू किये जाने पर विचार।
- मद सं. 45.04 उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थाओं में सत्र 2015-16 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को दूसरी संस्था में अध्ययन करने की अनुमति प्रदान किये जाने से सम्बन्धी छात्र/छात्राओं के अभिभावकों के प्रार्थना पत्रों पर विचार।
विद्या परिषद द्वारा सौरभ जोशी बी०टेक० तृतीय वर्ष कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजी० (रोल न० 1206810191), मेरठ इंस्टी० आफ इंजी० एण्ड टेक्नॉ०, मेरठ के छात्र के पिता श्री रमेश चन्द्र जोशी के द्वारा छात्र के अध्ययन केन्द्र के संबंध में प्रस्तुत पत्र दिनांक 26.6.2015 पर विचार हेतु पूर्व से गठित समिति से परीक्षण कराये जाने के उपरान्त परिषद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
- मद सं. 45.05 उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2015-16 हेतु बी०टेक०/बी०आर्क०/बी०फार्म०/बी०एच०एम०सी०टी०/बी०एफ०ए०डी०/एम०बी०ए०/एम०सी०ए०/एम०ए०एम०/एम०सी०ए० लेट्ररल एंट्री/एम०सी०ए० डुअल डिग्री/एम०टेक०/एम०फार्म एवं एम० आर्क० पाठ्यक्रमों हेतु एकेडेमिक कैलेंडर को अनुमोदित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।
विद्या परिषद द्वारा उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित हो रहे बी०टेक०/बी०आर्क०/बी०फार्म०/बी०एच०एम०सी०टी०/बी०एफ०ए०डी०/एम०बी०ए०/एम०सी०ए०/एम०ए०एम०/एम०सी०ए० लेट्ररल एंट्री/एम०सी०ए० डुअल डिग्री/एम०टेक०/एम०फार्म एवं एम० आर्क० पाठ्यक्रमों के लिए सत्र 2015-16 हेतु प्रभावी किये गये एकेडेमिक कैलेंडर पर सम्यक विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद सं. 45.06 उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमोदित संचालित हो रहे एम0ए0एम0/एम0सी0ए0 डुअल डिग्री/एम0सी0ए0 लेट्रल एंट्री पाठ्यक्रमों के आर्डिनेस निर्धारित करने हेतु विचार।

परिषद को अवगत कराया गया कि उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों में एम0ए0एम0/एम0सी0ए0 डुअल डिग्री/एम0सी0ए0 लेट्रल एंट्री पाठ्यक्रमों का संचालन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमोदन के उपरान्त किया जा रहा है, परन्तु पाठ्यक्रम प्रारम्भ से अब तक इसके आर्डिनेन्स न होने के कारण उनके परीक्षा परिणाम निर्माण में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। जिस कारण छात्र हितों के दृष्टिगत मा0 कुलपति महोदय द्वारा इवेन सेमेस्टर की परीक्षाओं का परिणाम निर्गत किये जाने हेतु विशेष परिस्थितियों में पुराने एम0सी0ए0 आर्डिनेन्स के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिये दी गई स्वीकृति पर परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा एम0ए0एम0/एम0सी0ए0 डुअल डिग्री/एम0सी0ए0 लेट्रल एंट्री पाठ्यक्रमों का आर्डिनेस निर्धारित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा पत्रांक: उ0प्र0प्रा0वि0/कुस0का0 /2015/61173-78 दिनांक 3.7.2015 तथा पत्रांक: उ0प्र0प्रा0वि0/कुस0का0/ 2015/61100-5 दिनांक 6.7.2015 के द्वारा समिति की आख्या सहित इन पाठ्यक्रमों हेतु आर्डिनेन्स तैयार कर आगामी विद्या परिषद में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

मद सं. 45.07 उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय की वृहदता एवं कार्य कुशलता के दृष्टिगत विश्वविद्यालय परिसर में प्लेसमेन्ट सेल एवं इन्फार्मेशन सेल की स्थापना हेतु विचार।

विद्या परिषद द्वारा प्रस्तावानुसार उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय में "प्लेसमेन्ट सेल" तथा "इन्फार्मेशन सेल" जिसमें "ई0डी0पी0 सेल" (Electronic Data Processing cell) सम्मिलित होगी की स्थापना हेतु सहमति प्रदान की गयी तथा इस हेतु विस्तृत प्रस्ताव आगामी विद्या परिषद की बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्णय लिया गया।

मद सं. 45.08 उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्री-पी0एच0डी0 कोर्सेज हेतु केन्द्र निर्धारण के सम्बन्ध में विचार।

विद्या परिषद द्वारा उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय से पी0एच0डी0 किये जाने के पूर्व प्री-पी0एच0डी0 कोर्सेज पूर्ण किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध ऐसे संस्थान जहां पहले से सुसंगत विषय में एम0टेक0, एम0फार्म0, एम0आर्क0 आदि पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम चल रहे हों उन्हें पी0एच0डी0 आर्डिनेन्स के प्राविधानों के अन्तर्गत इन संस्थानों में अध्यापित विषयों में से प्री-पी0एच0डी0 कोर्स पूर्ण कराने हेतु अध्ययन केन्द्र निर्धारित करने पर परिषद द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

मद सं. 45.09 उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय से पी0एच0डी0 आर्डिनेंस के अन्तर्गत प्री-पी0एच0डी0 प्रोग्राम्स में प्री-पी0एच0डी0 कोर्सज करने की अनिवार्यता के दृष्टिगत प्री-पी0एच0डी0 कोर्सज हेतु उत्कृष्ट पाठ्यचर्या तैयार किये जाने पर विचार।

विद्या परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरन्त यह निर्णय लिया गया कि उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय से पी0एच0डी0 किये जाने वाले शोधार्थियों को यथा संभव आर0डी0सी0 द्वारा उपलब्ध अनुमोदित परास्नातक स्तर के विषयों में से ही प्री0 पी0एच0डी0 कोर्सज का चयन कर पूर्ण करने का निर्देश दिया जाये। यदि पूर्व से उपलब्ध विषयों से पृथक कोई प्री0पी0एच0डी0 कोर्स कराया जाना अनिवार्य है तो आर0डी0सी0 द्वारा इसकी सूचना देने के बाद कुलसचिव द्वारा संदर्भित विषय की पाठ्यचर्या तैयार करने हेतु बी0ओ0एस0 को सूचित किया जायेगा एवं आगामी सेमेस्टर से ही ऐसे विषय प्रभावी होंगे। आर0डी0सी0 की सूचना पर बी0ओ0एस0 द्वारा बनायी गयी ऐसे विशेष इन विषयों को एम0टेक0/एम0फार्म0/एम0आर्क0 एवं एम0बी0ए0 इत्यादि पाठ्यक्रमों के इलेक्टिव कोर्स बनाने हेतु परिषद द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

मद सं. 45.10 उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय के पी0एच0डी0 प्रोग्राम के संयोजकों से विषयवार प्रतिष्ठित जर्नलस की सूची उपलब्ध कराये जाने पर विचार।

विद्या परिषद द्वारा पी0एच0डी0 में गुणवत्ता बढ़ाये जाने हेतु उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय के पी0एच0डी0 शोधार्थियों हेतु एस0सी0आई0 इन्डेक्स तथा कतिपय अन्य उत्कृष्ट व उच्च गुणवत्ता के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नलस की लिस्ट को तैयार कराने हेतु आर0डी0सी0 के संयोजकों से विषय वार जर्नलस की सूची प्राप्त कर छात्र हित में विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाने एवं उसका प्रयोग आर0डी0सी0 द्वारा मूल्यांकन में किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद सं. 45.11 उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय में शोध कर रहे शोधार्थियों के शोध प्रबन्ध जमा कराये जाने के पूर्व PLAGIARISM SOFTWARE क्रय किये जाने पर विचार।

विद्या परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय में शोध कर रहे शोधार्थियों के शोध प्रबन्ध की मौलिकता की जाँच हेतु PLAGIARISM SOFTWARE क्रय किये जाने पर सहमति प्रदान करते हुए अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध ऐसे सभी संस्थान जहाँ एम0टेक0/एम0फार्म0/एम0आर्क0 इत्यादि पी0जी0 पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं उन सभी संस्थाओं को भी डिजिटेशन कार्यों की मौलिकता बनाये रखने के उद्देश्य से PLAGIARISM SOFTWARE के माध्यम से जाँच अनिवार्य रूप से किये जाने तथा भविष्य में जमा किये जाने वाले डिजिटेशन/प्रोजेक्ट आदि को शोधार्थियों के संबंधित सुपरवाइजर एवं संस्था के प्राचार्य द्वारा उक्त साफ्टवेयर से चेक की हुई रिपोर्ट हस्ताक्षरित कराकर प्रस्तुत करने पर ही विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार किये जाने की सहमति परिषद द्वारा प्रदान की गयी। इस संबंध में अनुमन्यता सीमा विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर सूचित की जायेगी।

- मद सं. 45.12 विश्वविद्यालय के आर्डिनेन्स में शोध सुपरवाइजर की Eligibility में संशोधन पर विचार।
विश्वविद्यालय के आर्डिनेन्स में शोध सुपरवाइजर की Eligibility में प्रस्तावित संशोधन पर परिषद द्वारा विचार न करते हुए प्रकरण को पूर्व से गठित पी0एच0डी0 आर्डिनेन्स पुनर्निर्धारण समिति को विचार हेतु प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
- मद सं. 45.13 बायोटेक पार्क इन बायोटेक्नोलाजी सिटी, लखनऊ के चीफ एकजीक्यूटिव आफीसर के पत्र सं0: सी.ई.ओ./वी.पी./यू.पी.टी.यू./2013 दिनांक 12 मार्च, 2014 के संबंध में विचार।
विद्या परिषद को प्रो0 बी0एन0 मिश्रा द्वारा अवगत कराया गया कि बायोटेक पार्क पूर्व से ही शोध केन्द्र है तथा इसमें पूर्व से शोधार्थी शोध कार्य कर रहे हैं, साथ ही बायोटेक पार्क से प्राप्त प्रस्ताव में इंगित किया गया कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा पहले से ही संस्थान को सेन्टर आफ एक्सीलेन्स घोषित किया जा चुका है। बायोटेक संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में 20 करोड़ रुपये नान-रिफण्डेबल तथा दो करोड़ रुपये के सालाना आवश्यकता को औचित्यपूर्ण न मानते हुए परिषद द्वारा वर्तमान परिस्थितियों में प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया।
- मद सं. 45.14 प्रियदर्शिनी कालेज आफ कम्प्यूटर साइंसेज, ग्रेटर नोएडा के पत्र दिनांक 2.7.2015 द्वारा श्री संजय कुमार कुशवाहा के परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने के संबंध में विचार।
प्रियदर्शिनी कालेज आफ कम्प्यूटर साइंसेज, ग्रेटर नोएडा में श्री संजय कुमार कुशवाहा को आई0टी0 ब्रान्च में प्रवेश देकर कम्प्यूटर साइंस पाठ्यक्रम पढ़ाये जाने तथा कम्प्यूटर साइंस विधा में ही परीक्षा दिलाये जाने के प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए इससे सम्बन्धित समस्त पहलुओं को संज्ञान में लेते हुए उपयुक्त कार्यवाही के लिए परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए परीक्षा समिति की संस्तुतियों आगामी विद्या परिषद की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।
- मद सं. 45.15 उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय से स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत सम्बद्ध निजी क्षेत्र की संस्थाओं को एकेडमिक आटोनॉमी प्रदान किये जाने के संबंध में विचार।
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निजी क्षेत्र के संस्थानों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा प्रत्येक वर्ष एक वर्ष हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाता है जिसके क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा भी सत्र विशेष हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निजी क्षेत्र के संस्थानों को स्थाई सम्बद्धता प्राप्त नहीं होने के कारण इन्हें एकेडमी आटोनॉमी प्रदान किये जाने के प्रस्तावों अग्रिम कार्यवाही किये जाने पर विद्या परिषद द्वारा वर्तमान परिस्थितियों में सहमति नहीं प्रदान की गयी।
- मद सं. 45.16 उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय एवं टैक्सास इन्स्ट्रूमेन्ट्स प्रोग्राम के मध्य किये जाने वाले एम0ओ0यू0 के संबंध में विचार।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय एवं टेक्सास इन्स्ट्रुमेन्ट्स प्रोग्राम के मध्य किये जाने वाले एम0ओ0यू0 पर परिषद ने विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाये संशोधनों सहित क्रियान्वित करने पर सहमति प्रदान की गयी।

मद सं. 45.17 क्रेडिट सिस्टम एवं प्राप्तांको की समकक्षता के सम्बंध में।

विश्वविद्यालय के एम.टेक माडयूलर पाठ्यक्रमों में क्रेडिट सिस्टम लागू किये जाने हेतु विद्या परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया गया है:-

1. डा0 एच0के0 पालीवाल, आई0ई0टी0, लखनऊ — अध्यक्ष
 2. डा0 राजीव कुमार, अपर परीक्षा नियंत्रक, यू0पी0टी0यू0, लखनऊ — सदस्य
 3. डा0 एस0एस0 सोम, उपकुलसचिव, यू0पी0टी0यू0, लखनऊ — सदस्य सचिव
- उक्त परिषद द्वारा अपेक्षा की गई कि समिति अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित गाइड लाइन्स के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करे जिस पर अंतिम निर्णय हेतु मा0 कुलपति महोदय को अधिकृत किये जाने पर परिषद द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

मद सं. 45.18 बी.टेक एवं एम.सी.ए के अंतिम वर्ष के छात्रों के प्रोजेक्ट के आधार पर अनुत्तीर्ण किये जाने के सम्बंध में।

बी.टेक एवं एम.सी.ए के अंतिम वर्ष के छात्रों के प्रोजेक्ट के आधार पर अनुत्तीर्ण किये जाने के संबध में प्रस्तुत प्रस्ताव को आर्डिनेन्स पुनरीक्षण समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने एवं तदनुसार आर्डिनेन्स में वांछित संशोधन हेतु विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय परिषद द्वारा लिया गया।

मद सं. 45.19 विश्वविद्यालय के एम.टेक/एम.फार्म/एम.आर्क परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र को इस आशय का प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के एम.टेक/एम.फार्म/एम.आर्क परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को मेडल प्रदान करने के लिए गुप निर्धारित करने के लिए निर्देशित किया गया तथा यह भी निर्णय लिया कि प्रत्येक पाठ्यक्रम में स्वीकृत क्षमता के सापेक्ष यदि उस पाठ्यक्रम में 75 प्रतिशत या उससे अधिक छात्र अध्ययनरत हों तो उन्हें उस पाठ्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त करने का मेरिट प्रमाण पत्र दे सकते हैं। मेरिट प्रमाण पत्र देने की पात्रता के संबंध में शेष अन्य शर्तें बी0टेक0 पाठ्यक्रमों के आर्डिनेन्स में मेडल की अर्हता की भांति रहेंगी तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जिन छात्रों को प्रमाण पत्र दिये जाय, उन पाठ्यक्रमों व उसमें अध्ययनरत सभी छात्रों की परीक्षाएं प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा ही करायी गयी हों।

मद सं. 45.20 विश्वविद्यालय के सत्र 2014-15 के स्पेशल कैरी ओवर परीक्षा कराये जाने के सम्बंध में।

विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय की सत्र 2014-15 की



विषम एवं सम सेमेस्टर की परीक्षाएँ हो चुकी हैं। विश्वविद्यालय के द्वारा शैक्षणिक सत्र के नियमित संचालन के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त छात्र हित में अंतिम वर्ष के कैरी ओवर के साथ घोषित परीक्षाफल धारी छात्रों के लिए अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रमों की विशेष कैरी ओवर परीक्षा कराये जाने की सहमति परिषद द्वारा प्रदान की गयी।

मद सं. 45.21 विश्वविद्यालय के सेशनल मार्क्स, प्रैक्टिकल विषयों की परीक्षा तथा प्रैक्टिकल विषयों की कक्षाओं को संचालित किये जाने हेतु गाइडलाइन्स निश्चित किये जाने के सम्बंध में।

विश्वविद्यालय के सेशनल मार्क्स, प्रैक्टिकल विषयों की परीक्षा तथा प्रैक्टिकल विषयों की गाइडलाइन्स निश्चित किये जाने के सम्बंध में आर्डिनेन्स पुनरीक्षण समिति को प्रस्ताव प्रेषित कर आगामी विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सहमति प्रदान की गयी।

मद सं0 45.22 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य मद।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों के उनकी सहमति के संस्थानों में पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों पर समायोजन किये जाने के संबंध में विचार।

बिन्दु सं0-1 आई0एम0एस0 इंजीनियरिंग कालेज, गाजियाबाद के छात्रों से अन्य संस्थाओं में समायोजन हेतु छात्रों के विकल्प प्राप्त कर मा0 कुलपति महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर प्रक्रियानुसार कार्यवाही हेतु परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0-2 कृष्णा गर्ल्स इंजीनियरिंग कालेज, कानपुर की छात्राओं को अन्य संस्थाओं में समायोजन के संबंध में मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत किये गये समायोजन की कृत कार्यवाही पर विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0-3 सत्यम कालेज आफ इंजीनियरिंग, गाजियाबाद के बन्द किये जाने के संबंध में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को उनकी सहमति के अन्य संस्थानों में समायोजन हेतु छात्रों की लिखित सहमति तथा पठन-पाठन की उचित व्यवस्था के दृष्टिगत समायोजित किये जाने पर परिषद द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

बिन्दु सं0-4 उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध बन्द हो रही संस्था एन0सी0आर0 टेक्निकल कैम्पस, अलीगढ़ तथा दुलारी देवी इंस्टी0 आफ फार्मैसी, अलीगढ़ संस्थान को बन्द करने हेतु विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार की अनापत्ति तथा अभातशिप का अनुमोदन विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त प्रकरण में पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करने हेतु परिषद द्वारा निर्णय लिया गया।

बिन्दु सं0-5 विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अन्य संस्थानों के भविष्य में बन्द होने के सम्बन्ध में छात्रों के समायोजन के प्रस्ताव में संस्थानों के नामों के स्पष्ट नहीं होने के कारण परिषद द्वारा अस्वीकार किया गया।

विद्या परिषद द्वारा बिंदु 1 से चार पर इंगित उक्त समस्त संस्थाओं में छात्र समायोजन के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय पर यह प्रतिबन्ध लगाया कि स्थानान्तरित करने वाली संस्था तथा जिस संस्था में छात्र समायोजित हो रहे हैं, के मध्य वित्तीय हस्तान्तरण प्राविधिक विश्वविद्यालय के माध्यम से किया जायेगा, अर्थात् जिस संस्था के छात्र स्थानान्तरित हो रहे हैं उस संस्था द्वारा उन समस्त छात्रों की फीस/काशनमनी इत्यादि यदि जमा न हो तो वित्तीय मद विश्वविद्यालय में जमा कराये जायेंगे। तदोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा छात्र स्थानान्तरित होने वाली संस्था को वित्तीय मद स्थानान्तरित किये जाने हेतु परिषद द्वारा निर्णय लिया गया।

बिन्दु सं०-6

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थाओं में संचालित बी०टेक० प्लास्टिक टेक्नोलाजी (द्वितीय वर्ष) की पाठ्यचर्या सत्र 2015-16 से लागू किये जाने हेतु परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया तथा फूड टेक्नोलाजी तृतीय वर्ष की पाठ्यचर्या की विसंगतियां निवारण हेतु दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया:-

1. डा० राजीव कुमार, अपर परीक्षा नियंत्रक, यू०पी०टी०यू०, लखनऊ।
2. डा० एस०एस० सोम, उपकुलसचिव, यू०पी०टी०यू०, लखनऊ।

परिषद द्वारा उक्त समिति को फूड टेक्नोलाजी तृतीय वर्ष की पाठ्यचर्या हेतु संबंधित संस्थाओं से विस्तृत विवरण प्राप्त कर विद्या परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

बिन्दु सं०-7

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थाओं के शिक्षको हेतु सतत रूप से फैक्ल्टी डेवलेपमेन्ट प्रोग्राम कराये जाने के उद्देश्य से दिनांक 13.07.2015 को आई०आई०टी०, कानपुर से प्राप्त प्रस्ताव पर परिषद द्वारा विश्वविद्यालय की कार्य परिषद द्वारा दिनांक 20.06.2015 को संपन्न बैठक में दिये गये सैद्धान्तिक सहमति के परिपेक्ष्य में विचार-विमर्श के उपरान्त आई०आई०टी०, कानपुर से प्राप्त प्राथमिक प्रस्ताव के स्थान पर विस्तृत प्रस्ताव विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने हेतु आई०आई०टी०, कानपुर को सूचित करने का परिषद द्वारा निर्णय लिया गया।


(के०के० चौधरी)
सचिव

अनुमोदित


(प्र० ओंकार सिंह)
अध्यक्ष